माननीय ए.एल. बहरी, न्यायमूर्ति केसमक्ष.

राम नाथ कपूर,-याचिकाकर्ता।

बनाम

छोटू राम, प्रतिवादी.

1990 की सिविल मूल अवमानना याचिका संख्या 411

24 सितंबर, 1990

न्यायालय अवमानना अधिनियम (1971 का 70) धारा 2(बी), 11 एवं 12-नागरिक संहिता प्रक्रिया, 1908 (1908 का अधिनियम V)–आदेश XIII, नियम 3–मुकदमा खारिज

जैसा कि प्रतिवादी के बयान के मद्देनजर वापस ले लिया गया है - ऐसा बयान एक वादा है और उपक्रम न करना–लिखित में समझौता न करना–का उल्लंघन

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1991)2 वादा-क्या अवमानना कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

माना कि मकान मालिक रामनाथ कपूर द्वारा दिये गये बयान पर मुकदमा ख़ारिज किया जाना था और ऐसा आदेश दिया गया था। खाली करने का वचन मकान मालिक और के बीच निर्दिष्ट तिथि तक परिसर का वादा किया जा सकता है। किराएदार। इसका उल्लंघन अवमानना करने के समान नहीं है न्यायालय जैसा कि परिभाषित है। अन्यथा भी कथित समझौता दर्ज नहीं किया गया था

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 3 के अनुसार समझौता को लिखित रूप में निष्पादित करने की आवश्यकता है ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके

(पैरा 4)

धारा 11 और धारा 11 के तहत अवमानना याचिका न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 12, प्रार्थना करते हुए कि प्रतिवादी को अधीनस्थ की अवमानना के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए अदालत ने कहा कि उसने वरिष्ठ उप के समक्ष दिए गए वचन का उल्लंघन किया है

न्यायाधीश, चंडीगढ़, 4 अगस्त, 1989 को।

याचिकाकर्ता के वकील टी. आर. अरोड़ा।

प्रतिवादी की ओर से चंद्र सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

ए.एल बहरी, न्यायमूर्ति.:— राम नाथ कपूर छोटू राम प्रतिवादी को 4 अगस्त को वरिष्ठ उप न्यायाधीश की अदालत में उनके द्वारा दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए अदालत की अवमानना करने के लिए दंडित करने की प्रार्थना की। 1989. दिया गया वचन यह था कि वह 31 मार्च, 1990 तक परिसर खाली कर देंगे लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। नोटिस दिए जाने पर छोटू राम ने मामले का विरोध करते हुए जवाब प्रस्तुत किया।

2. छोटूराम ने अप्रैल 1989 में चंडीगढ़ के वरिष्ठ उप न्यायाधीश की अदालत में नाथकपूरको परिसर के भौतिक कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकना; मकान नंबर 1607, सेक्टर 7-सी, चंडीगढ़ के बरसाती फर्श पर एक कमरा और एक स्टोर, जिसमें शौचालय और स्नानघर का सामान्य उपयोग है। छोटूरामने खुद को उक्त परिसर का किरायेदार होने का दावा किया। 4 अगस्त, 1989 को रामनाथकपूर, जो मामले में प्रतिवादी थे। वाद में, इस आशय का बयान दिया कि वह वर्णित परिसर के संबंध में वादी (छोटू राम) को बेदखल नहीं करेगा और उसके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उचित विधि के अनुसार उसे बेदखल कर देगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें 31 जुलाई 1989 तक रुपये की दर से किराया प्राप्त हुआ है। 325 प्रति माह पानी और बिजली शुल्क को छोड़कर। छोटू राम (मुकदमे में वादी) का बयान भी दर्ज किया गया, जिसने राम का बयान स्वीकार किया नाथकपूर सही है। उन्होंने आगे इस प्रकार कहा:—

"..... मैं 31 मार्च, 1990 तक परिसर खाली कर दूंगा। मेरे द्वारा दायर मुकदमा वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाए।"

अंतिम आदेश पारित करते समय, वरिष्ठ उप न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादी और वादी के बयान को ध्यान में रखते हुए समझौता करने के बाद मुकदमा वापस ले लिया गया, जिसे खारिज कर दिया गया। फाइल को रिकार्ड रूम में भेजा जाए।

3. न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 2(बी) सिविल अवमानना को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

"सिविल अवमानना का अर्थ है किसी अदालत के फैसले, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना या अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना।"

4. प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि राम नाथ जिसे कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करना था और कानून के अनुसार उचित तरीके से बेदखल करना था। मुकदमे में अपने बयान में छोटू राम द्वारा दिया गया कोई भी वचन केवल राम< से किया गया वादा था। a i=8>नाथकपूर और यह न्यायालय को दिया गया कोई वचन पत्र नहीं था और भले ही छोटू की ओर से उपरोक्त वचन का उल्लंघन हुआ हो के अनुसार दर्ज नहीं किया गया था, जिसके लिए समझौते को लिखित रूप में होना आवश्यक है। न्यायालय द्वारा कार्रवाई हेतु निष्पादित। वर्तमान मामले में वास्तव में न्यायालय ने उपरोक्त वचन पर कार्रवाई नहीं की। उस उपक्रम पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और किसी को भी पारित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि किरायेदार द्वारा दायर किया गया मुकदमा वापस ले लिया जा सकता था। इस अवमानना याचिका को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा गया, जिसे खारिज कर दिया गया है।' कोई लागत नहीं.**आदेश XXIII नियम 3**राम के बयान पर मुकदमा था बर्खास्त किया जाए और ऐसा आदेश दिया गया। मकान मालिक और किरायेदार के बीच निर्दिष्ट तिथि तक परिसर खाली करने का वादा किया जा सकता है। जैसा कि परिभाषित है, इसका उल्लंघन न्यायालय की अवमानना नहीं माना जाएगा। यदि ऐसा वादा कानून द्वारा लागू करने योग्य होता तो मकान मालिक ऐसा कर सकता था। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क यह है कि उपरोक्त उपक्रम के कारण याचिकाकर्ता 31 मार्च, 1990 तक निष्कासन आवेदन दायर नहीं कर सका और इस प्रकार छोटूकपूरनाथराम, कोई अवमानना नहीं बनती। मुझे इस विवाद में दम नजर आता है. दायर मुकदमे में किरायेदार को बेदखल करने का कोई दावा नहीं किया गया था। बल्कि किरायेदार द्वारा मुकदमा दायर किया गया था कि मकान मालिक को उस कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसके लिए उसने मकान

मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा का दावा किया था। मकान मालिक राम नाथ कनूर द्वारा दिए गए बयान पर मुकदमा खारिज किया जाना था और ऐसा आदेश दिया गया था। निर्दिष्ट तिथि तक परिसर खाली करने का वचन "मकान मालिक और किरायेदार के बीच का वादा हो सकता है। जैसा कि परिभाषित किया गया है, इसका उल्लंघन अदालत की अवमानना के बराबर नहीं है। यदि ऐसा वादा कानून में लागू करने योग्य था तो मकान मालिक ऐसा कर सकता है। इसलिए। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क यह है कि उपरोक्त उपक्रम के कारण, याचिकाकर्ता 31 मार्च, 1990 तक बेदखली का आवेदन दायर नहीं कर सका और इस प्रकार छोटू राम द्वारा जगह खाली करने में विफलता के कारण उपरोक्त तिथि पर परिसर में याचिकाकर्ता को पहले बेदखली आवेदन दाखिल करने से एक तरह से रोक दिया गया था। जो भी हो, उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय की कोई अवमानना नहीं बनती। अन्यथा भी कथित समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 3 के अनुसार दर्ज नहीं किया गया था, जिसके लिए समझौते को लिखित रूप में निष्पादित करने की आवश्यकता होती है ताकि न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जा सके। वर्तमान मामले में वास्तव में न्यायालय ने उपरोक्त वचन पर कार्रवाई नहीं की। उस उपक्रम पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और किसी को भी पारित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि किरायेदार द्वारा दायर किया गया मुकदमा वापस ले लिया जा सकता था। इस अवमानना याचिका को आगे बढ़ाना उचित नहीं समझा गया, जिसे खारिज कर दिया गया है। कोई लागत नहीं.

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह : अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
जिला न्यायालय, गुरुग्राम, हरियाणा